संख्या-6/2016/745/तीन-95-77(22)/79-सा0प्र0अनु0

प्रेषक,

श्री ब्रजेन्द्र सहाय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 09 मार्च,1995

विषय:- उत्तर प्रदेश सचिवालय में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रशासन में स्वस्थ कार्य संस्कृति के विकास, कार्य कुशलता एवं बेहतर उत्पादकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश सचिवालय में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। फलस्वरूप उत्तर प्रदेश सचिवालय के कार्यालय सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक खुले रहेंगे और शनिवार एवं रविवार को बन्द रहेंगे। इस प्रकार प्रत्येक मास में अतिरिक्त शनिवारों को अवकाश होने के कारण कार्यालय समय में हुई कमी को पूरा करने के लिये सचिवालय का कार्य समय पूर्वान्ह 9:30 बजे से अपरान्ह 6:00 बजे तक रहेगा । अपरान्ह 1:00 बजे से 1:30 बजे तक मध्यान्ह भोज का समय निर्धारित किया गया है। उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सचिवालय में कार्यालय समय एवं मध्यान्ह भोज समय के निर्धारण विषयक पूर्व निर्गत समस्त आदेश इस सीमा तक अवक्रमित/संशोधित समझे जायेंगे।

सचिवालय में पांच दिवसीय सप्ताह योजना लागू किये जाने के फलस्वरूप वर्ष 1995 की शासन की अवकाश विषयक विज्ञप्ति सं0- 3892/तीन-94-39(2)-94-सा0प्र0 अनु0, दिनांक 14-12-1994 के पृष्ठ-3 में इंगित कार्यकारी आदेशों के अन्तर्गत घोषित अवकाश सचिवालय में लागू नहीं होंगे, अपितु उक्त अवकाशों को अब निर्बन्धित अवकाशों की सूची में सम्मिलित किया गया मानते हुये, उन्हें निर्बन्धित अवकाशों के रूप में नियमानुसार उपभोग किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट आडर्स (1981 संस्करण) के पैरा-247 के अन्तर्गत जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा घोषित किये जाने वाले स्थनीय अवकाश सचिवालय में लागू नहीं होंगे और उक्त् स्थानीय अवकाशों के अवसर पर सचिवालय खुला रहेगा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

। अवकाश विषयक पूर्वोल्लिखित विज्ञप्ति दिनांक 14-12-94 में निहित आदेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

यह आदेश तात्कालिक रूप से प्रभावी होंगा समस्त संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उक्त कार्यालय समय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय
ब्रजेन्द्र सहाय
मुख्य सचिव।

संख्या-6/2016/745/तीन-95-77(22)/79-सा0प्र0अनु0तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
2. प्रमुख सचिव , मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
3. समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/उप मंत्रीगणों के निजी सचिव।
4. मुख्य सचिव के स्टॉफ ऑफिसर, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/ प्रमुख विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
7. जिलाधिकारी लखनऊ।
8. प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
10. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण), भारत सरकार नई दिल्ली।
12. सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्यों का विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
13. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/ लखनऊ।
14. शासन के समस्त अनुभाग।
15 सचिवालय प्रशासन अधि0 अनुभाग-1/3
16 गोपन अनुभाग-1

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.